

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 85 का उपनियम (9) देखिये)

ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा जो व्यापार कर अधिकारी से घोषणा-पत्र प्राप्त करें, रखा जाने वाला रजिस्टर।

प्राप्ति

दिनांक	कुलसंख्या	क्रम संख्या से तक	दिनांक	वायापारी /पारेषक का नाम तथा पूरा जिसे जारी किया गया
1	2	3 4	5	6

दूसरे राज्यों के विक्रेता व्यापारियों/पारेषकों को जारी किये गये रूप पत्र

जारी किये गये रूप-पत्रों की क्रम संख्या	माल का विवरण	परिमाण	बिल /कैशमैमो चालान संख्या के हस्ताक्षर	धनराशि	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12